बाबूलाल मराण्डी
नेता प्रतिपक्ष (पूर्व मुख्यमंत्री)
झारखण्ड

पता :
बी.पी.डी.पी. गेस्ट हाउस, मोरहाबादी,
राँची - 834008
दूरभाष : 0651-2960966
मोबाईल : 7004173300
ई–मेल : yourbabulal@gmail.com

पत्रांक : 608/BLm/25 दिनांक : 15/12/25

माननीय मुख्यमंत्री जी,

विषय :– कृषक हित में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत गुमला जिला में लैम्पस द्वारा धान खरीददारी में हुए अनियमिताओं के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर FIR कर कड़ी कार्रवाई करने एवं इस वर्ष में हो रहे धान खरीददारी में पारदर्शिता बरतने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले वर्ष कृषकों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत गुमला जिला में कृषकों से धान खरीददारी की गई थी, लेकिन जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, लैम्पस अध्यक्ष व सचिव, राज्य खाद्य निगम में कार्यरत कम्पयूटर ऑपरेटर सोनु कुमार वर्मा द्वारा मिलीभगत कर वास्तविक कृषकों को लाभ न पहुँचाकर बिचौलियों अथवा अपने जान–पहचान के लोगों को लाभान्वित किया गया एवं E-Uparjan Portal पर निबंधित कृषकों का अंचल से भूमि सत्यापन किए बगैर जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी गुमला के द्वारा कृषकों को भुगतान कर दिया गया।

जब इस गंभीर मामले को वास्तविक किसानों द्वारा उपायुक्त गुमला को आवेदन देकर इसकी जाँच कराने का आग्रह किया गया तद्नुसार उपायुक्त गुमला ने इसकी जाँच हेतु अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में कमिटी गठित कर धान खरीददारी में हुई अनियमितता की जाँच कराई एवं जाँच प्रतिवेदन में यह तथ्य सामने आया कि धान खरीददारी में भारी अनियमितता हुई है जिसमें जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, लैम्पस सचिव एवं राज्य खाद्य निगम में कार्यरत कम्पूयटर ऑपरेटर सोनु कुमार वर्मा की संलिप्तता से यह घोटाला किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में इन पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर विलम्बन एवं कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई, लेकिन अब तक इन भ्रष्ट पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज भी कम्पूयटर ऑपरेटर अपने पद पर बने रहकर अनियमितता कर रहे हैं, जो गंभीर मामला है। जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि गुमला जिला के पालकोट अंचल के विभिन्न लैम्पसों में धान खरीददारी में भारी अनियमितता बरती गई है। लाभुक कृषक के नाम वास्तविक जमीन के रकवे को अधिक दिखाकर धान खरीददारी की गई, इस तरह प्रति किवन्टल लगभग 600–700 रूपये का गबन किया गया। जबकि किसान बाजार में 1600 से 1700 रूपये/प्रति किवन्टल धान बेच देते हैं चूँकि सरकार समय पर धान किसानों से नहीं खरीदती है। जाँच प्रतिवेदन में लाभुक किसानों के नाम निबंधित जमीन और उनके नाम पर धान खरीददारी की मात्रा अंकित है, जिसमें इनलोगों द्वारा गड़बड़ियाँ की गई, जो पत्र के साथ संलग्न है।

बाबूलाल मराण्डी
प्रतिपक्ष (पूर्व मुख्यमंत्री)
झारखण्ड

पता :
बी.पी.डी.पी. गेस्ट हाउस, मोरहाबादी,
राँची - 834008
दूरभाष : 0651-2960966
मोबाईल : 7004173300
ई–मेल : yourbabulal@gmail.com

पत्रांक : 608/BLM/25 दिनांक : 15/12/25

गंभीर बात है कि लाभुक किसानों के नाम वास्तविक जमीन रकवा में उलटफेर कर उनके नाम पर खरीददारी दिखाकर एक–एक अंचल में करोड़ों रूपये का गबन किया गया है।

मुझे पूरे प्रदेशभर के किसानों द्वारा जानकारियाँ मिल रही है कि हरेक जिला में कमोवेश ऐसा ही घोटाला किया जा रहा है और इसमें जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, लैम्पस/पैक्स सचिव, एवं कम्पूयटर ऑपरेटर की भूमिका है। ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी साजिश राज्य के शीर्षस्थ पदाधिकारी या सरकार में बैठे नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं है।

अतएव मैं, आपसे माँग करता हूँ कि गुमला जिला में धान खरीददारी में हुए अनियमितता की जाँच कमिटि द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त की जाय एवं पूरे राज्य में इस वर्ष आज से धान खरीददारी में पारदर्शिता रहे, इसके लिए सक्षम पदाधिकारी को जिम्मेवारी देकर इसकी निगरानी की जाय ताकि वास्तविक लाभुक किसानों को उनके नाम अंकित जमीन के अनुपात में अंचल से सत्यापन कराकर धान खरीददारी हो एवं बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।

सधन्यवाद!

संलग्नक :– यथोक्त।

आपका

(बाबूलाल मराण्डी)
15/12/2025

सेवा में,
श्री हेमन्त सोरेन जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार, राँची।

Scanned with CamScanner